समाहरणालय, पटना
(जिला योजना शाखा)

फोन नं0 0612–2219545(का0)
फैक्स नं0–0612–2218900
E-mail- dpopatna63@gmail.c
dm-patna.bih@nic.in

पत्रांकः–32-30/2009 .... /यो0,दिनांक.......................

प्रेषक,

जिला योजना पदाधिकारी,
पटना।

सेवा में,

जिला योजना पदाधिकारी,
सारण।

विषयः– मानानीय सांसद (राज्य सभा) श्री राजीव प्रताप रूढी के अनुशंसा के आलोक में प्राप्त प्राक्कलन के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 518, दिनांक–19.09.14

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि श्री राजीव प्रताप रूढी, माननीय पूर्व सांसद (राज्य सभा) के सांसद मद में कुल पात्रता की राशि के अनुरूप कुल आवंटन **1850.00** लाख रू० प्राप्त हो चुका है। वर्तमान में माननीय सांसद के सांसद मद में सूद सहित **28974196.00** रू० उपलब्ध है, जिनमें से पटना जिला के लिये अनुशंसित योजना के लिये **4000000/-** की कटौती करते हुये शेष **24974196.00** रूपये मात्र (दो करोड उनचास लाख चौहतर हजार एक सौ छियानवे रूपये मात्र) सूद सहित आर०टी०जी०एस० के माध्यम से जिला योजना पदाधिकारी, सारण छपरा के पदनाम से, जिला योजना पदाधिकारी, सारण छपरा के पत्रांक–677, दिनांक–04.12.12 से प्राप्त बैंक विवरणी के अनुसार औरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स छपरा के खाता संख्या–**13222191030381**,ब्रांच कोड–**1322**, आई०एफ०सी०कोड०–**ORBC0101322** एवं एम०सी०आई०आर० कोड–**841022002** है, में भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि इस राशि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत प्राप्त दिश निर्देश के आलोक में माननीय सांसद द्वारा अनुशंसित योजनाओं का कार्यान्वयन उपलब्ध करायी गयी राशि के अधीन हीं करायी जाय, इससे अधिक राशि की योजनाओं पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान न की जाय, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई राशि उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है। साथ हीं यह भी अनुरोध है कि यदि अनुशंसित योजनाएं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा–निर्देश की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रतिबंधित कार्यो की सूची में हो तो योजना का कार्यान्वयन नहीं कराया जाय एवं भेजी जा रही राशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से खाता संख्या में हस्तांतरित कर दी जाय। कार्यान्वित योजनाओं का विहित प्रपत्र में मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह 5 वीं तारीख तक तथा योजना कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र इस जिला को उपलब्ध कराया जाय।

नाजिर जिला योजना कार्यालय पटना को निदेश दिया जाता है कि माननीय पूर्व सांसद श्री राजीव प्रताप रूढी के सांसद निधि में सूद सहित उपलब्ध राशि में से **4000000/-** (चालीस लाख रूपये) मात्र की कटौती करते हुए अवशेष राशि मो० **24974196.00** मात्र आर०टी०जी०एस० के माध्यम से उपर्युक्त वर्णित बैंक विवरणी में जिला योजना पदाधिकारी सारण को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

ह०/-

जिला योजना पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक–32–30/2009...1290.../यो०, दिनांक...09/10/14

प्रतिलिपिः– श्री राजीव प्रताप रूढी, माननीय पूर्व सांसद (राज्य सभा) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, पटना एवं जिला पदाधिकारी सारण (छपरा) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संयुक्त निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, मुरादपुर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि आपके बैंक खाता संख्या–**50183683438**, ब्रांच कोड–**705**, आई०एफ०एस०सी० कोड–**ALLA0210705**, से मो० **24974196.00** दो करोड उनचास लाख चौहतर हजार एक सौ छियानवे रूपये) जिला योजना पदाधिकारी, सारण (छपरा) के पदनाम से औरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स छपरा के खाता संख्या–**13222191030381**, ब्रांच कोड–**1322**, आई०एफ०एस०सी० कोड–**ORBC0101322** एवं एम०सी०आई०आर० कोड–**841022002** में यथाशीघ्र हस्तांतरित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि– नाजिर जिला योजना कार्यालय, पटना को आदेश दिया जाता है कि माननीय सांसद (राज्य सभा) श्री राजीव प्रताप रूढी के सांसद निधि में उपलब्ध राशि में से **24974196.00** (दो करोड उनचास लाख चौहतर हजार एक सौ छियानवे रूपये) जिला योजना पदाधिकारी, सारण, छपरा को **RTGS** के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पटना को निदेशानुसार सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इस पत्र को जिला के **Web Side** पर डालने की कृपा की जाय।

9/10/14

जिला योजना पदाधिकारी,
पटना।